विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या– 51/2025,
पंजीकरण तिथि–11.04.2025

खस्ती बिवाल, — परिवादी
निवासी– लहे थियासाल तल्ला,
हल्द्वानी–।। जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया कि उसका सयोजन संख्या 396E261103155 में माह 24.02.2025 से 24.03.2025 (एक माह) तक का बिल रुपए 84,173.00 आया है जो कि गलत है।

   अतः आपसे अनुरोध है की प्रार्थी का बिल संशोधन करने हेतु अपने स्तर से संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता के विद्युत संयोजन संख्या–396E261103155 की एम0आर0आई0(छायाप्रति संलग्न) एंव बिल हिस्ट्री (छायाप्रति संलग्न) का संयुक्त अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि शिकायतकर्ता को सही विद्युत बिल प्रेषित किए गए है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त समस्या को निस्तारित करने की कृपा करें।
3. दिनांक 13.05.2025 को मंच में सुनवाई निर्धारित की जिसमें परिवादी अनुपस्थित रहे, विपक्षी ने परिवादी के मीटर की एम0आर0आई0 रिपोर्ट एवं बिल हिस्ट्री प्रस्तुत कर कहा कि परिवादी को भेजे गए बिल एकदम सही है तथा उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता।

4. मंच द्वारा परिवादी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 27.05.2025 को उभय पक्षों के तर्क सुने गए।
   1. परिवादी ने कहा कि 30 मार्च 2024 से दिसंबर 2024 तक उसका कनेक्शन कटा था फिर भी उसे फरवरी 2025 में 9237 यूनिट खपत का बिल जारी किया गया।
   2. विपक्षी ने एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि परिवादी के मीटर से प्रत्येक माह लगातार विद्युत का उपभोग हो रहा था हालांकि विपक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि परिवादी का मापक अभिलेखों में 30.03.2024 को काटा गया था तब मीटर रीडिंग 24209 थी, जिसे दिसंबर 2024 में जोड़ा गया। जोडते समय रीडिंग 32581 थी। यहां यह प्रश्न अनुत्तरित है कि जब एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का मीटर लगातार चल रहा था तो मीटर रीडर उस मीटर की रीडिंग क्यों नहीं ले रहा था।
   3. यह प्रश्न भी अनुत्तरित है कि जब विभाग ने 30.03.2024 को संयोजन अस्थाई विच्छेदित कर दिया गया था तो भी क्या परिवादी ही उसका उपभोग वास्तव में कर रहा था। (विपक्षी/विभाग के स्तर पर इस प्रकरण में तमाम लापरवाही बरती गई है) संयोजन टी0डी0 करने के बाद भी मीटर कैसे चल रहा था, यदि परिवादी ने स्वयं केबल जोड़कर उपभोग किया है तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और एक वर्ष तक बिल क्यों नहीं बनाये गये।)
   4. दिसंबर 2024 में संयोजन को किस आधार पर जोड़ा गया, जबकि परिवादी ने 13000 रूपये का भुगतान दिनांक 17.01.2025 में किया है। दिनांक 30.03.2024 को बकाया भुगतान के आधार पर काटे गये संयोजन को दिसम्बर 2024 में बिना बकाया जमा किये ही क्यों जोड़ दिया गया।
   5. विपक्षी ने दिनांक 03.06.2025 को उपरोक्त बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जो निम्नवत है:-
      I. शिकायतकर्ता का विधुत संयोजन अस्थायी तौर पर दिनांक 30.03.2025 को काट दिया गया था, लेकिन दिनांक 04/04/2024 को ही जोड़ दिया गया था, दिनांक 29/03/2024 से 24/02/2025 तक 332 दिनों में 9327 यूनिट्स की खपत की जा चुकी थी।
      II. MRI रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 30/03/2024 को रीडिंग 24209 KWH थी तथा विधुत संयोजन जोडते समय दिनांक 24/02/2025 को रीडिंग 33446 KWH थी, क्यूंकि विधुत संयोजन पहले जोड़ा जा चूका था, और शिकायतकर्ता द्वारा विधुत उपभोग लगातार किया जा रह था, अवर अभियंता द्वारा ऑनलाइन मे विधुत संयोजन को जोड़े जाने की प्रविष्टी दिनांक 26/12/2024 को की

गयी है। इस कारण मीटर रीडर द्वारा उस राशि नहीं बनाया जा सका था।

III. विभाग द्वारा दिनांक 30/03/2024 को विधुत संयोजन काटने की साथ ही दिनांक 04/04/2024 को 4 दिन के बाद ही जोड़ भी दिया गया था। और शिकायतकर्ता लगातार विधुत उपभोग कर रहा था।

IV. अवर अभियंता की अख्यानुसार विधुत संयोजन को दिनांक 30/03/2024 को बकाया होने पर टी0डी0 कर दिया गया था, जिसकी प्रविष्टी दिनांक 01/04/2024 को ऑनलाइन सिस्टम पर कर दी गयी थी। माह 12/2024 को उक्त संयोजन मीटर रीडर को चलता हुआ पाया गया। जिसका बिल निर्गत करने हेतु 26/12/2024 को अवर अभियंता द्वारा वास्तविक Reconnection Date 04/04/2024 की Entry की गयी । Reconnection एंट्री दिनांक 26/12/2024 को देर से होने की वजह बिल नहीं बनाया जा सका।

V. शिकायतकर्ता का विधुत संयोजन तो दिनांक 04/04/2024 को ही जोड़ दिया गया था, लेकिन जोड़े जाने की ऑनलाइन प्रविष्टी दिनांक 26/12/2024 को अवर अभियंता द्वारा की गयी।

VI. शिकायतकर्ता का विधुत संयोजन मात्र 4 दिनों के लिए ही टी0डी0 हुआ था, विधुत संयोजन जोड़ने के बाद से विधुत उपभोग लगातार किया जा रहा था। अतः उपभोक्ता द्वारा की गयी उपभोग यूनिट्स के आधार पर ही बिल की धनराशी वसूल की जा रही है।

VII. शिकायतकर्ता के परिसर में एक घरेलू तथा एक वाणिज्यक 2 विद्युत संयोजन हैं।

VIII. सम्बंधित संयोजन की 3 वर्ष की बिलिंग हिस्ट्री मा0 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई है।

IX. उक्त विधुत संयोजन के सम्बन्ध मे यह भी अवगत करना है कि माह 03/2024 से 02/2025 तक की उपभोग यूनिट्स 9237 हैं, जिसके अनुसार उपभोक्ता का प्रतिमाह उपभोग 835 यूनिट्स है, जोकि उसके पूर्व के उपभोग के अनुसार सही है।

कम सख्या	माह	यूनिटस
1	05/2024	1105
2	06/2024	1190
3	07/2024	1276
4	08/2024	1070
5	09/2024	996

6	10/2024	935
7	11/2024	810
8	12/2024	605
9	01/2025	382
10	02/2025	497
11	03/2025	397
12	04/2025	264

उपभोक्ता की वास्त कि खपत का अवलोकन MRI में भी किया गया जा सकता है जोकि उपभोक्ता की वास्ताविक खपत को प्रमाणित करता है।

6. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की बिल हिस्ट्री, एम0आर0आई0 रिपोर्ट एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या से स्पष्ट है कि परिवादी के मीटर में दर्ज खपत वास्तविक है तथा वास्तविक खपत के आधार पर ही उसे बिल भेजे गए हैं। इस प्रकार वास्तविक खपत के आधार पर बने बीजकों में किसी भी प्रकार के संशोधन का आदेश पारित न किया जा सकता। अतः वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वय वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक.– 05.06.2025

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 05.06.2025

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–53/2025

पंजीकरण तिथि–25.04.2025

खुशाल सिंह — परिवादी
ग्राम–सड़ियाताल
पो०ओ०–ज्योलिकोट
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि उसे खुशाल सिंह पुत्र स्व0 आन सिंह, ग्राम–सड़ियाताल, पो0ऑ0–ज्योलिकोट जिला–नैनीताल का विद्युत खाता संख्या–41900437240 आवंटित है। उसका बिल पिछले कुछ माह से कम आ रहा था जिसकी पुष्टि के लिए उसके द्वारा कुछ माह के बिल उधारहणार्थ संलग्न किए जा रहे हैं (कागज संख्या–1/2 से 1/9)। महोदय दिनांक 07.03.2025 से 15.04.2025 तक का बिल जिसकी मीटर रीडिंग दिनांक 15.04.2025 को रीडिंग 4053 थी, दिनांक 15.04.2025, उसको दिया गया। उसका बिल प्रार्थी द्वारा संलग्न है। जो कि पिछले बिलों की तुलना में काफी अधिक है। महोदय बिल अधिक आने पर उसके द्वारा अपने मीटर की रीडिंग प्रतिदिन स्वयं ली गई जो दिनांक 16.04.2025 की सायं को 4055 थी और दिनांक 17.04.2025 की प्रातः 4088 हो गयी, जबकि दिनांक 16.04.2025 की रात में विद्युत आपूर्ति खराब मौसम के कारण बाधित थी। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत उसका बिल सही करवाने की कृपा करेंगे एवं मीटर खराब होने की स्थिति में बदलने की कृपा करेंगे।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपखण्ड अधिकारी की आख्यानुसार उपभोक्ता के मापक से प्राप्त रीडिंग के आधार पर का विद्युत बिल सही प्रतीत होता है। यदि उपभोक्ता को मापक की रीडिंग पर आपत्ति/संदेह है तो उपभोक्ता द्वारा

चैक मापक लगाने हेतु आवेदन के उपरान्त ही कार्यवाही की जा सकती। उक्त क्रम में ही सहायक अभियन्ता (मापक), भवाली को भी एम०आर०आई० कराने हेतु प्रत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। अतः माननीय मंच से अनुरोध है कि उपभोक्ता को भी चैक मापक लगाने हेतु निर्देशित करें चैक मापक लगने व एम0आर0आई0 रिपोर्ट आने के उपरान्त की स्पष्ट आख्या प्राप्त की जा सकती है।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांकित 20.05.2025 में कहा गया है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में मापक से ली गयी रीडिंग के आधार पर बिल को सही बताया गया है, महोदय उक्त के प्रतिउत्तर में उसको यह कहना है कि जिस रीडिंग को सही बताया जा रहा है, वह दिनांक 26.04.2025 को ली गई है जबकि उसकी शिकायत दिनांक 15.04.2025 को जनरेट किए गए बिल पर है। महोदय उसकी शिकायत दिनांक 07.03.2025 से 15.04.2025 तक की अवधि के बिल की है जिसमें 264 यूनिट दर्शायी गयी है। चूंकि पिछले बिलों की यूनिट उपभोग काफी कम है एवं दिनांक 15.04.2025 के बाद माह मई में भी बिल की धनराशि ₹ 183.00 और यूनिट 65 मात्र है। उसके द्वारा चैक मापक लगाने हेतु 17.04.2025 को ही ₹ 100.00 की धनारशि जमा कर दी गई है। जबकि विभाग द्वारा चैक मापक सी0एम0 पोर्टल पर शिकायत के उपरान्त दिनांक 04.05.2025 को लगाया गया जो कि विभागीय लापरवाही को दर्शाता है।(कागज संख्या–5/2 व 5/4)। चूंकि फीस जमा करने के उपरान्त चैक मापक लगाने की विभाग द्वारा निर्धारित अवधि अधिकतम 15 दिन है। उसका निवेदन है कि उक्त मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट की एक प्रति उसकी मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे। उसके द्वारा दिनांक 17.04.2025 को चैक मीटर हेतु आवेदन कर दिया गया था। महोदय को अवगत कराना है कि आज दिनांक को चैक मीटर की रीडिंग पुराने मीटर से 3 यूनिट कम है। जिससे प्रतीत होता है कि पुराने मीटर की रीडिंग कभी–कभी जम्प कर रही है। आपको सादर अवगत कराना है कि उसके द्वारा दिनांक 15.04.2025 को भेजे गये बिल की धनराशि को निर्धारित समयानुसार जमा कर दिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त वाद में न्यायोचित आदेश पारित करते हुए संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करेंगे।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 02.06.2025 में कहा गया है कि उक्त प्रकरण में उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 04.05.2025 को चैक मापक लगाया गया जिसके उपरान्त को चैक मापक में 4201 KWH रीडिंग पायी गयी है। उपभोक्ता के पुराने मापक में 4142 KWH रीडिंग पायी गयी है। उपभोक्ता के दोनों मापकों में रीडिंग बराबर पायी गयी है। चैक मापक व पुराने मापक की रीडिंग से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है (कागज संख्या–8/1) ।

5. परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 03.06.2025 में कथन किया गया है कि मीटर की एम0आर0आई0 रिपोर्ट उसको प्राप्त हुई है। उसके संबंध में प्रार्थी को दिनांक 15.04.2025 को भेजे गए बिल की यूनिटों का विवरण मीटर एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अनुसार अलग से उपलब्ध कराया जाए, चुंकि जो एम0आर0आई0 रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है वह पूरे वर्ष की प्रतीत हो रही है एवं उसकी समझ से परे है। अतः दिनांक 07.03.2025 से 15.04.2025 तक मीटर की एम0आर0आई0 रिपोर्ट दिन वाइज उपलब्ध कराने की कृपा करें।

क्रमशः

6. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 05.06.2025 की तिथि नियत की गई है। सुनवाई हेतु विपक्षी उपखण्ड अधिकारी उपस्थित रहे। परिवादी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। मंच द्वारा विपक्षी को सुना गया।
7. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों/साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता के मीटर की एम0आर0आई0 रिपोर्ट में दिनांक 01.04.2025 से 01.05.2025 के मध्य अन्य महीनों की तुलना में अधिक खपत दर्शित हो रही है, हालांकि यह खपत अप्रत्याशित भी नहीं है। एम0आर0आई0 रिपोर्ट में दिनांक 01.07.2024 एवं 01.10.2024 में मीटर की MDI 27.92 एवं 27.20 कि0वा0 प्रदर्शित हो रही है जबकि विद्युत खपत 63 यूनिट एवं 68 यूनिट मात्र है। अतः मंच के मत में ऐसा या तो मीटर में दोष के कारण या परिवादी के परिसर की वायरिंग में कमी के कारण होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः परिवादी का वर्तमान मापक बदलकर नया मापक स्थापित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का वर्तमान मापक बदलकर नया मापक स्थापित किया जाए। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–05.06.2025

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–05.06.2025

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

हल्द्वानी।

जिला—नैनीताल।

उपस्थित 1—बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2—तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
3—हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या— 57/2025

पंजीकरण तिथिः—02.05.2025

देकान्त पंचोली पुत्र चन्द्रकान्त, परिवादी
नियर नीम ट्रीवारी मुखानी हल्द्वानी
जिला—नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया कि उपरोक्त कनैक्शन संख्या— **392E125122111** का दिनांक 31.3.2025 से 22.04.2025 का विद्युत खपत बिल रुपये 6701 भुगतान हेतु प्राप्त हुआ है। यह बिल विद्युत खपत के सापेक्ष बहुत अधिक है।

   आपसे अनुरोध है कि इस विद्युत कनैक्शन मीटर की जाँच कर उचित खपत कीकैलकुलेशन कर संशोधित बिल भुगतान हेतु देने की कृपा करें।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त पंजीकत शिकायत के निवारणार्थ विपक्षी का उत्तर निम्नांकित सादर प्रस्तुत है।

   उपभोक्ता द्वारा दिनांक 31/03/2025 से 22/04/2025 का विधुत खपत अधिक आने पर चेक मापक लगाने की शिकायत की गयी थी।

   शिकायत के आधार पर दिनांक 08/05/2025 को विधुत संयोजन संख्या **392E125122111** के मापक संख्या—81631187 पर चैक मापक लगा दिया गया

है। उपभोक्ता से दूरभाष पर सम्पर्क कर —कै मापक लगने की जानकारी भी ली गयी। जैसे ही चेक मापक को फाइनल कर रिपोर्ट प्राप्त होती है, रिपोर्ट के आधार पर ही बिल स शोधित कर दिया जायेगा। माननीय न्यायालय से निवेदन है की चैक मापक की रिपोर्ट प्राप्त होने तक तिथि विस्तार प्रदान करने का कष्ट करें।

3. परिवादी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि The Department of Electricity Board, Uttrakhand has been Installed a Check Meter on dated 9.5.2025. which is still under observation. Outcome of check metre is awaited,

4. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने अतिरिक्त पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 31/03/2025 से 22/04/2025 का विधुत खपत अधिक आने पर चैक मापक लगाने की शिकायत की गयी थी। शिकायत के आधार पर दिनांक 08/05/2025 को विधुत संयोजन संख्या **392E125122111** के मापक संख्या–81631187 पर चैक मापक लगा दिया गया था। आज दिनांक 27.05.2025 —को कै मापक फाइनल किया गया है। प्राप्त चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार पुराना मापक सही चलता पाया गया।

5. परिवादी ने अपने प्रतिउत्तर दिनांकित 28.05.2025 में कहा गया है कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, कुमाऊं क्षेत्र, हल्द्वानी द्वारा वाद संख्या 57/2025 के निपटान के लिये शिकायत निवारण मंच को धन्यवाद। यह सोचनीय विषय है —कि एक सामान्य घरेलू उपभोक्ता के विद्युत खपत में इतना अंतर विभाग को नजर नहीं आया, हो सकता है यह तकनीकी खामी के कारण हो सकता है। क्या तकनीकी खामी —को बताना या उसको ठीक करने का उपाय बताना विद्युत विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए। एक सामान्य उपभोक्ता को हुई इस आर्थिक हानि का जि —म्मेदार कौन ? इसका उत्तर शायद हमारा सिस्टम है या सिस्टम में बैठे लोग।

6. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी ने दिनांक 22.04.2025 के बीजक में विद्युत खपत पर आपत्ति जताई है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार यह बीजक दिनांक 21.03.2025 से 22.04.2025 तक की विद्युत खपत 1010 यूनिट के आधार पर बनाया गया है। विपक्षी ने परिवादी के मीटर की शुद्धता की जांच हेतु परिवादी के अनुरोध पर चैक मापक स्थापित किया। शुद्धता जांच में परिवादी का मीटर सही चलता पाया गया। इस प्रकार यह मंच बिल

संशोधन का कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। अतः इस वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी के मापक की शुद्धता जाचं कर शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 03.06.2025

03/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं उद्‌घोषित।
दिनांकः– 03.06.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला—नैनीताल

उपस्थित 1—बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2—तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
3—हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या—63 / 2025
पंजीकरण तिथिः—13.05.2025

गोविंदी रूवाली पत्नी लीलाधर रूवाली, परिवादी
आर0टी0ओ0 रोड़ अंगीठी रेस्टोरेट हल्द्वानी
जिला—नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया है किः—मेरा रेस्टोरेंट सन 2019—20 कोविड़ के समय से आज तक बंद है। कोविड़ के समय से वर्तमान तक कोई मीटर रीडर भी नहीं आया। एक छोटा सा रेस्टोरेंट जो लंबे समय से बंद है, उसमें भी विभाग द्वारा लगातार रीडिंग का बिल दिया जा रहा है। विभागीय मीटर बंद के दौरान भी अपने आप खर्च दर्शा रहा है। वर्तमान में एक लाख का विद्युत बिल विभाग द्वारा मुझे जमा करने का आदेश दे रहे हैं, जो की पूर्णतः गलत है।

अतः निवेदन है कि मीटर की जाच कर बिल ठीक करने का कष्ट करें। परिसर सालों से बंद है।

2. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु 05.06.2025 की तिथि नियत की गई। विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए परिवादी की तरफ से श्री वरुण तिवारी उपस्थित हुए परंतु उनके पास परिवादी की तरफ से कोई अधिकार पत्र नहीं था। विभागीय प्रतिनिधि को आदेशित किया गया कि अगली तिथि 05.06.2025 को परिवादी के मीटर की एम0आर0आई0 के साथ मंच के समक्ष

पुनः उपस्थित हो। दिनांक 05.06.2025 को मंच की सुनवाई में परिवादी पुनः अनुपस्थित रहे। विपक्षी द्वारा परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री एवं मौके का वीडियो मंच समक्ष प्रस्तुत किया गया। विपक्षी को आदेशित किया गया कि परिवादी के परिसर का स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, मीटर की MRI के साथ एवं तदानुसार यदि संभव हो तो 30.08.2025 से वर्तमान तक बिल संशोधित कर के मंच समक्ष प्रस्तुत करें।

दिनांक 23.06.2025 को वाद की सुनवाई हेतु विभाग के प्रतिनिधि मंच समक्ष उपस्थित हुए परंतु परिवादी पुनः अनुपस्थित रहें। विभाग द्वारा परिवादी का संशोधित बिल गणना शीट पूर्व के बिल 100542.00 को संशोधित कर अप्रैल बिल चक्र तक के लिये रू0 33257.65 प्रस्तुत की गई। इस संशोधन गणना शीट के बारे में परिवादी को दूरभाष पर अवगत किया गया एवं परिवादी को सुना गया। परिवादी ने संशोधित बिल राशि जमा करने के लिए सहमति प्रदान की। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर परिवाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त गणना शीट के आधार पर संशोधित बिल परिवादी को 30.06.2025 तक भेज दिया जाए। परिवादी संशोधित बिल प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर बिल जमा करें। विपक्षी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 23/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः– 23/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUME GRIEVANCES REDRESSAL FORUM,
KUMAOUN ZONE,HALDWANI

Case No.: 65/2025
Shri/Smt. करण सिंह फर्त्याल **V/S Executive Engineer** रामनगर

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	05-06-2025	आदेश पत्रावली प्रस्तुत । विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत । उपभोक्ता का खराब मापक बदल दिया गया है । मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र संलग्न है । कार्यवाही की शिकायत का निराकरण हो जाने के पश्चात वाद निस्तारित किया जाता है । पत्रावली दाखिल दफ्तर हो । सदस्य (उपभोक्ता) वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी सदस्य (तकनीकी) वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी सदस्य (न्यायिक) वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी	

OFFICE OF THE CONSUME GRIEVANCES REDRESSAL FORUM,
KUMAOUN ZONE,HALDWANI

Case No.: 70/2025

Shri/Smt....बच्ची राम.... V/S Executive Engineer....रामनगर....

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
[illegible]	05/06/25	आदेश पत्रावली प्रस्तुत, विपक्षी द्वारा उत्तरपत्र दिनांक 05/06/25 अधिशासी अभियन्ता कार्यालय का पत्रांक 3028/C-4/05.06.25 द्वारा सूचित किया गया है कि उपभोक्ता का खराब मापक बदल दिया गया है। ~~[illegible]~~ मीटर सीलिंग प्रपत्र भी संलग्न है। परिवादी की शिकायत का निराकरण हो जाने के बाद वाद निस्तारित किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। सदस्य (उपभोक्ता) वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी सदस्य (तकनीकी) वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी सदस्य (न्यायिक) वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी	

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला—नैनीताल

उपस्थित 1— भृगु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2—तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3—हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या—73 / 2025

पंजीकरण तिथि—17.05.2025

जगजीत सिंह — परिवादी
पुत्र स्व0 कृपाल सिंह
म0नं0—3 / 264
गुरूनानकपुरा, हल्द्वानी
जिला—नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी।

निर्णय

1 परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि वह गुरूनानकपुरा, हल्द्वानी, जिला—नैनीताल का निवासी है तथा उसके उक्त निवास का विद्युत कनैक्शन सं0—387N424004953 है। उसके द्वारा अपने 3 फेज उपकरण चलाये जाने हेतु 3 फेज मीटर हेतु लोड बढ़ाये जाने हेतु आवेदन किया था जिसमें उसका विद्युत लोड 4 किलोवाट से 8 किलोवाट कर दिया गया तथा उसके द्वारा उक्त लोड 4 किलोवाट से 8 किलोवाट बढ़ाये जाने हेतु विभागीय शुल्क ₹ 2600.00 का भुगतान पुस्तक सं0—045952 रसीद सं0—31 के माध्यम से विद्युत विभाग को कर दिया गया था, परन्तु विभाग द्वारा लोड 8 किलोवाट किये जाने के बावजूद 3 फेज मीटर नहीं लगाया गया तथा उसके द्वारा दिनांक 02.05.2012 को मापक / मीटर सिगंल—डबल फेज से थ्री फेज में बदलवाने हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र भी प्रेषित किया था। दिनांक 13.12.2023 को विभाग द्वारा उसका मापक / मीटर 3 फेज वाला लगाया गया। महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि दिनांक 20.07.2009 से दिनांक 12.12.2023 (14 साल 4 महिने 24 दिन) तक विभाग द्वारा उससे 3 फेज के विद्युत दर के अनुसार व मीटर चार्ज व अन्य चार्ज जो भी 3 फेज के अनुसार होते हैं, उपभोक्ता से बिल के माध्यम से ले लिये गये जो कि न्यायसंगत नहीं है। महोदय उपरोक्त तिथि के मध्य उसका 2 फेज का मीटर होने के कारण वह 3 फेज के उपकरण भी नहीं

क्रमशः

चला पाया जबकि उसके द्वारा 3 फेज के अनुसार बिलों का भुगतान किया जाता रहा जिससे उसको मानसिक व आर्थिक हानि हुई है, जो कि विभाग की लापरवाही को दर्शाता है तथा जिससे उसको अत्यधिक आर्थिक नुकसान भी पहुंचा है, जबकि विभाग द्वारा लोड बढ़ाने के साथ–साथ उसके उक्त निवास स्थान में 2 फेज मीटर के स्थान पर 3 फेज मीटर उसक द्वारा लोड बढ़ाये जाते समय लोड का शुल्क दिनांक 20.07.2009 भुगतान करने के उपरान्त लगा देना चाहिए था। साथ ही महोदय को यह भी संज्ञानित करना है जिस द्वारा दिनांक 14.02.2025 को विभाग के बिल का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। उसके द्वारा श्रीमान अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को भी पत्र प्रेषित किया गया है। वह महोदय से इस पत्र के माध्यम से निवेदन करना चाहता है कि विभागीय लापरवाही से हुए उसके आर्थिक नुकसान जो कि उसके द्वारा 14 साल 4 माह 24 दिन तक का विद्युत बिलों का भुगतान उससे 2 फेज मीटर होने के बावजूद 3 फेज के अनुसार विभाग द्वारा चार्ज लिया गया है, को उसको विभागीय ब्याज सहित (जो ब्याज विभाग द्वारा उपभोक्ता से लिया जाता है) धनराशि वापस की जाये अथवा भविष्य में आने वाले बिलों में उसके विद्युत बिल में उक्त धनराशि समायोजित कर ली जाये, उक्त की सूचना उसको भी प्रदान की जाये। वह न्याय की आशा से महोदय को उक्त पत्र प्रेषित कर रहा है, जिसका संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी आपका अति आभारी रहेगा। (पूर्व मे बिजली विभाग में 17.02.2025 को प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत की गई है कि उनके द्वारा लोड बढ़ाने (4 किलोवाट से 8 किलोवाट) दिनांक 20.07.2009 को निर्धारित शुल्क जमा किया गया, परन्तु विभाग द्वारा 3 फेज मापक 13.12.2023 को लगाया गया जिस एवज में विभाग द्वारा दिनांक 20.07.2009 से 12.12.2023 तक भी बढ़े लोड 8 किलोवाट के (3 फेज मापक) के अनुसार बिल चार्ज किया गया है। महोदय इस संबंध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि उपभोक्ता के बिल में माह 05/2022 से बढ़े हुए लोड 8 किलोवाट की दर से आकणित हुआ है।

3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 27.05.2025 की तिथि नियत की गई थी। सुनवाई हेतु पक्षकार भौतिक रूप से उपस्थित हुये। दोनों पक्षों के तक सुने गए तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री के साथ यह तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि मई 2022 से 12 दिसंबर 2023 तक परिवादी से 8 किलोवाट के हिसाब से फिक्स चार्ज लिया गया है जबकि उसका लोड वास्तव में दिनांक 13.12.2023 को बढ़ाकर 8 किलोवाट किया गया है। मई 2022 से पूर्व परिवादी से 4 किलोवाट के हिसाब से ही फिक्स चार्ज नियत टैरिफ के अनुसार ही लिया गया है। इस प्रकार मई 2022 से 12 दिसंबर 2023 तक परिवादी से ₹ 6208.00 की धनराशि फिक्स चार्ज के रूप में अधिक वसूली गई है। विपक्षी ने उक्त अवधि में माहवार अतिरिक्त ली गई धनराशि की गणना शीट मंच में प्रस्तुत करते हुए कहा है कि ₹ 6208.00 का समायोजन परिवादी को किया जाना है। पत्रावली के अवलोकन और उभय पक्षों को सुनकर मंच का

क्रमशः

मत है कि विपक्षी की ओर से प्रस्तुत गणना शीट सही है तथा उसके अनुसार परिवादी को समायोजन प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी से फिक्स डिमांड चार्ज के रूप में ली गई अतिरिक्त धनराशि ₹ 6208.00 को उसके बकाया में समायोजित करते हुए संशोधित बीजक जारी करें। विपक्षी इस निर्णय/आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–05.06.2025

05/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–05.06.2025

05/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला—नैनीताल

उपस्थित 1—बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2—तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3—हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या—74/2025

पंजीकरण तिथि—19.05.2025

नन्दन सिंह अधिकारी
पुत्र उमेद सिंह अधिकारी
चांदनी चौक बल्यूटिया
आनन्दपुर, हल्द्वानी
जिला—नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि "I'm writing regarding an unusually high electricity **bill of ₹ 5367 for A/C No. 41900436937 service Ac No .391K144154592.** We faced a similar issue earlier, which was due to a UPCL meter fault. Kindly recheck the invoice, as our usage does not justify this amount. I also request a meter test or further verification of the bill. Current Electricity invoice has been attached for your reference

Due Date 27-04-2025- 5,367.00
After: 27-04-2025- 5,434.00
After: 27-05-2025 - 5,501.00

परिवादी द्वारा दिनांक 27.04.2025 को प्रेषित ईमेल में कहा गया है कि "I have made an online payment of ₹100 for the meter testing, and the payment receipt is attached herewith for your reference. I kindly request you to proceed with testing my electricity meter and to provide a revised bill based on my actual consumption. I am ready to pay the correct amount as per the actual usage recorded. I trust that the matter will be resolved fairly, and I look forward to your prompt support in this regard."

परिवादी द्वारा दिनांक 04.05.2025 को प्रेषित ईमेल में कहा गया है कि " As per the trailing mail reference, no one from UPCL has visited for the meter checking yet, nor have I

received any response via email regarding my complaint. It has been quite some time, and there has been no action or communication from your side. Kindly let me know when your team will visit to resolve this issue. I request you to treat this matter as urgent and provide a clear update at the earliest. Please do my meter checking as soon as possible."

परिवादी द्वारा दिनांक 08.05.2025 को प्रेषित ईमेल में कहा गया है कि "I am writing with reference to my previous complaint, as mentioned in the trailing email. Unfortunately, no representative from UPCL has visited for the meter inspection yet, and I have not received any response or communication from your end regarding this matter. Additionally, I have now received another monthly bill amounting to ₹9,000, which is extremely concerning given that the issue with the meter remains unresolved. I kindly request that this matter be treated as urgent. Please provide a clear update on when your team will visit for the meter checking, and ensure that appropriate action is taken at the earliest. Looking forward to your prompt response."

परिवादी द्वारा दिनांक 17.05.2025 को प्रेषित ईमेल में कहा गया है कि "Despite multiple follow-ups through calls to your customer care center and repeated email correspondence, no action has been taken on my query so far. Please let me know when this issue will be resolved. I will not be liable for any late payment fees or penalty amounts incurred due to this delay, as the responsibility lies entirely with your department. After several unanswered requests, I am left with no option but to escalate this matter to the consumer forum."

परिवादी द्वारा दिनांक 22.05.2025 को प्रेषित ईमेल में कहा गया है कि "Following your recent email, your team contacted me regarding the meter accuracy test and assured me that they would visit today. However, it has now been four days, and no one has come for the meter test. I kindly request you to look into this matter and arrange for the visit at the earliest."

उक्त के क्रम में परिवादी द्वारा दिनांक 23.05.2025 को प्रेषित ईमेल में कहा गया है कि "Thanks you very much for your response regarding my complaint no.22304250503. I appreciate your attention to the matter."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या–391K144154592 के मापक संख्या–461892 पर आज दिनांक 28.05.2025 को चैक मापक लगा दिया गया है। चैक मापक रिपोर्ट प्राप्त होते ही रिपोर्ट के आधार पर उपभोक्ता का बिल संशोधन कर दिया जायेगा।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 16.06.2025 को प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या–391K144154592 के मापक सख्या–461892 पर आज दिनांक 28.05.2025 को चैक मापक लगा दिया गया है। दिनांक 11.06.2025 को चैक मापक फाइनल कर दिया गया है, चैक मापक की रिपोर्ट के आधार पर पुराना मापक सही चलता पाया गया। दूरभाष पर उपभोक्ता द्वारा सम्पर्क करने पर बताया गया की वह उस बिल को जमा कर रहा है।
4. परिवादी द्वारा दिनांक 16.06.2025 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र में कहा गया है कि " I am writing regarding A/C No. **41900436937** and service A/C No. **391K144154592**. This is in reference to my complaint (No. **22304250503**) concerning the check meter. The check meter process was successfully carried out, and after 15 days, the analysis confirmed that the

क्रमशः

meter is functioning correctly. It was found that the issue was due to an earthing fault. We are truly grateful for your kind attention and support in resolving this matter. Without your assistance, this would not have been possible. I have cleared the pending amount of **₹12,215**, and the payment receipt is attached for your reference. Thank you once again for your help."

5. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया जिससे स्पष्ट है कि परिवादी की समस्या का निराकरण किया जा चुका है जिसकी पुष्टि परिवादी द्वारा दिनांक 16.06.2025 को प्रेषित ईमेल से भी होती है। अतः विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने तथा परिवादी द्वारा विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 19/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 19/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या– 77/2025,
पंजीकरण तिथि:–30.05.2025

राजेश पाण्डेय,
हिम्मतपुर मल्ला, ऊंचापुल हल्द्वानी
जिला– नैनीताल

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

विपक्षी

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायतीपत्र में कहा गया कि प्रार्थी का बिजली अकाउंट नबंर–40115607172 है, जिससे प्रार्थी का बिजली का बिल हर महीने ज्यादा आ रहा है। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है की प्राप्ति के शिकायत के अनुसार उचित कार्यवाही करने की कृपा कीजियेगा, प्रार्थी विभाग में भी अपनी शिकायत लेके गया पर संतोषजनक उत्तर की प्राप्ति नहीं हुई। अतः महोदय कृपया कर उचित कार्यवाही करने की कृपा कीजिये।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिल हिस्ट्री प्रस्तुत की गई। मंच द्वारा बिल हिस्ट्री का अवलोकन किया गया।
3. बिल हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी ने प्रत्येक चक्र में परिवादी को मीटर्ड यूनिट (एम0यू) के बिल भेजे हैं, जो सामान्य खपत के हैं। परिवादी को मीटर तेज चलने की शंका है तो विपक्षी के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर मीटर की जांच करवा सकता है। अतः वाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

प वरि की वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वय वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्या दवे/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 05.06.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।

दिनांकः– 05.06.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी।
जिला–नैनीताल।

उपस्थित — 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–78/2025
पंजीकरण तिथि:–31.05.2025

गिरिश चन्द्र मुनगली, — परिवादी
विकास भवन आवासीय कालौनी
आर0एन0 नम्बर–19, टाइप–II,
इंडस्टियल एरिया भीमताल
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि उसका पुराना विद्युत मीटर 32156359 दिनांक 25.02.2025 को विकास भवन कॉलोनी आर0एन0–19 टाइप सेकंड से उतारा गया था, जिसके स्थान पर स्मार्ट मीटर 12021783 लगने के पश्चात उसमें रीडिंग 8811 अंकित की है।

जबकि पुराने मीटर की रीडिंग उतारते समय 8211 अंकित थी, जिस वजह से विद्युत बिल काफी बढ़कर आ रहा है जिसे भुगतान करने में काफी कठिनाई उत्पन्न हो रहा है। मीटर रीडिंग में 600 यूनिट का अंतर आने पर मेरे द्वारा उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण खंड भीमताल को दिनांक 07.03.2025 को संपर्क कर अपनी शिकायत उन्हें उपलब्ध कराई गई है जो की संदर्भित पत्र के साथ संलग्न है। बार–बार संपर्क

करने के उपरांत भी आज दिनांक 30.05.2025 तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

अतः विन्रम प्रार्थना है किआप अपने स्तर से उपरोक्त समस्या का निराकरण करने की कृपा करें।

2- विपक्षी विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया कि उपभोक्ता के विद्युत बिल में रुपए 4108.00 का संशोधन कर दिया गया है। संशोधन के उपरांत उपभोक्ता का विद्युत बिल रुपए 2312.00 बना है।

3. परिवादी द्वारा पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया कि मेरे द्वारा बिल संशोधन संबंधी जो शिकायत की गई थी उसका वर्तमान में निराकरण कर दिया गया है। जिससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं।

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिल संशोधन संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच क समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं प बि दी की संतुष्टि क आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 23/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः– 23/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराख ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1– भिगु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–79/2025
पंजीकरण तिथिः–02.06.2025

कमला देवी पत्नी विपिन विहारी, प बि दी
गैर वैशाली चौफुला चौहा वि सि न–01,
हल्द्वानी जिला–नै नील

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी िकाय तीपत्र में कहा गया कि मेरे द्वा अपने घर के विद्युत मापक खराब होने की सूचना टोल फ्री नंबर–1912 पर दिनांक 14.02.2025 को दर्ज कर दी थी। जिसकी संख्या 21402250322 है। उसक उपरांत विद्युत मापक न बदलने पर अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड ग्रामीण हल्द्वानी को 03.03.2025 को िकायत पत्र दिया गया। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी का विद्युत मापक बदलने संबंधित शिकायत निवारण करने की कृपा करें। जिससे प्रार्थिनी को भविष्य में परेशानी का सामना न करना पड़े।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांकित 16.06.2025 में कहा गया कि शिकायतकर्ता के आधार पर मापक को बदलने हेतु आज दूरभाष पर वार्ता की गई। विद्युत संयोजन संख्या–392E 123136980 के खराब मापक संख्या–EM6861 को आज, बदल दिया गया है। अतिशीघ्र ही सीलिंग प्रमाण पत्र के ऑनलाइन प्रविस्थी होते ही संशोधित किया जाएगा।

3. परिवादी द्वारा अपने संतुष्टि पत्र में कहा गया है कि उप खेत खराब विद्युत मापक बदलने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 02 जून 2025 को दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के कार्यवाही में आज दिनांक 16 जून 2025 को खराब विद्युत मापक बदल कर नया विद्युत मापक लगा दिया गया है। हमारी समस्या का समाधान हो गया है। अब हम उक्त प्रकरण पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इसे अब बंद करने की कृपा करें।

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी के खराब मापक कोबदल कर नया मापक स्थापित कर दिया गया है। जिस पर परिवादी द्वारा भी अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण पर वह आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

पिक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिएजा नेएवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 20.06.2025

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्‌घोषित।

दिनांकः– 20.06.2025

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–80 / 2025

पंजीकरण तिथि–09.06.2025

खष्टी भट्ट
सुनार गली, आदर्श नगर
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि उसके घर के मीटर को स्मार्ट मीटर में 6 मई 2025 को Change किया गया। विगत कई महीनो से उसके घर का बिल औसत ₹ 2500.00 आता है। 6 जून 2025 को जब 2 माह बाद बिल नहीं आया तो हमने विद्युत विभाग से सम्पर्क किया, बिना कोई रीडिंग लिए हमारे घर का बिल ₹ 9477.00 दो माह का दे दिया गया है। जो कि दुगने से भी ज्यादा है। कृपया कर इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें बिल भुगतान अंतिम की तिथि 22.06.2025 है। कृपया कर घर की रीडिंग और बिल को Check करने का कष्ट करें।
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विधुत संयोजन संख्या–391A1151031169 की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 05.05.2025 को उपभोक्ता के परिसर में स्मार्ट मापक लगाया गया है। नये मापक की वर्तमान रीडिंग 615 KWH के आधार पर उपभोक्ता का बिल बना दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत की गयी है कि बिल अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता का अंतिम बिल दिनांक 13.04.2025 को रीडिंग 2714 KWH तक बना है। मापक उतारते समय पुराने मापक की शेष रीडिंग 3385 KWH पायी गयी है। अतः 2714 – 3385 = 671 UNITS पुराने मापक की भी यूनिट्स नए मापक के बिल में चार्ज की गयी हैं अतः 671 यूनिट्स पुराने

क्रमशः

मापक तथा 615 यूनिट्स नए मापक = 1286 यूनिट्स का बिल माह 06/2025 में सही प्रेषित किया गया है। उपभोक्ता का बिल रीडिंग के आधार पर सही बना है।

3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 23.06.2025 की तिथि नियत की गयी। विपक्षी प्रतिनिधि उपस्थित हुये जबकि परिवादी अनुपस्थित। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। परिवादी को दूरभाष पर सुना गया परिवादी का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाते समय पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग 3385 पर उसे संदेह है। विपक्षी द्वारा कहा गया कि मीटर बदलते समय सीलिंग भरी गई थी जो सही है। परिवादी को संदेह है तो वह कार्यालय में आयें और पुराना मीटर उपलब्ध होने पर परिवादी उसका अवलोकन कर सकता है।

मंच द्वारा बिल हिस्ट्री का अवलोकन किया गया। बिल हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी ने परिवादी को मीटर्ड यूनिट (एम0यू) के बिल भेजे हैं। अतः वाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 23/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।

दिनांकः– 23/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–83/2025

पंजीकरण तिथि–19.06.2025

शालिनी जोशी
द्वारा राजीव कुमार जोशी
ढुंगशिल तल्ला, भीमताल
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि "I live in Bhimtal Nagarpalika, (Nainital district). As the attached bill shows, a refund of Rs. 21, 101 (INR Twenty Thousand, one hundred and one only) has been due to me, from UPCL for 9 (NINE) months now. Despite having raised my complaint to competent authorities, till date I have not received any assurances, nor any plan as to when UPCL would refund the money due to me. Request your kind help to expedite the same"
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के खाता संख्या–42400589156 में बकाया धनराशि (₹ 21101.00) इक्कीस हजार एक सौ एक रुपया मात्र का भुगतान किया जाना है। जिसके क्रम में उपभोक्ता श्रीमती शालिनी जोशी, भीमताल द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाता संख्या–005598800000080 में दिनांक 21.06.2025 को RTGS & NEFT किया गया है, जो चैक संख्या–027623 दिनांक 21.06.2025 के माध्यम ₹ 21101.00 जमा करा दिये गये हैं।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 23.06.2025 में कहा गया है कि "Dear Shri Bisht ji, Thank you very much for your prompt attention to the matter. This is to confirm that an amount of Rs. 21,101.00 has been credited to my account, and status of my complaint may now be considered resolved at my end."

क्रमशः

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने तथा परिवादी द्वारा विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 23/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।

दिनांकः– 23/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या– 86/2025
पंजीकरण तिथिः–20.06.2025

गणेश चन्द्र, परिवादी
नियर आर्मी कैंट, तिकोनिया हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी (नगर)।

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया कि I am writing to formally lodge a complaint regarding a non-functional electric meter and repeated sparking issues at my residence. Today on date 19/06/2025 at 9:00 pm, the electricity meter installed at my home has not been working properly. Additionally, there have been frequent incidents of sparking, which pose a serious safety hazard to my family and neighbors. Despite multiple verbal complaints to the local electricity office, no action has been taken so far. I request you to kindly look into this matter urgently and arrange for a technical inspection, repair, or replacement of the faulty meter at the earliest. Your prompt attention to this matter would be highly appreciated, considering the risk involved due to sparking.Please kindly look into the matter and do the needful as soon as possible
2. विपक्षी/विभाग अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि सहायक अभियंता (मापक), हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के मापक सम्बन्धी/स्पार्किंग समस्या का समाधान कर लिया गया है।
3. परिवादी द्वारा अपने संतुष्टि पत्र में कहा गया है "Thankyou for your excellent service regarding the service of meter issue."

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की मापक/स्पार्किंग संबंधित शिकायत का समाधान कर दिया गया है। परिवादी ने भी इस पर संतुष्टि जताई है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 26/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 26/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या– 04202505170001
पंजीकरण तिथि:–20.05.2025

विमलेश जोशी, परिवादी
भूमिका टावर, कालाढूंगी रोड,
सै गोदाम चौह हल्द्वानी।
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया कि "I am not receiving electric bill from last 2 month neither any person came for meter reading I complain this issue last month but no action done I complain this issue to 1912 but they said they only for supply complain"
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है किउपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या–396E162136075 का माह 05/2025 में बिल बनाकर उपभोक्ता को प्राप्त करा दिया है। उपभोक्ता की बिलिंग से संबंधित शिकायत का समाधान किया जा चुका है। अतः वाद को निस्तारित करने का कष्ट करें।
3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की बिल संबंधी शिकायत का समाधान कर दिया गया है। परिवादी ने भी इस पर संतुष्टि जताई है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 03.06.2025

03/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 03.06.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता ¯क्रायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कार ¯पोशन लि0

हल्द्वानी

जिला–¯नैनीाल

उपस्थित 1–¯श्रिु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्या ¯कि)

2–तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)

3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या– 04202505190001

पंजीकरण तिथिः–20.05.2025

कैलाश चन्द्र,
¯शिा ¯कि बिहार ¯फ्रे–2 केनाल रोड़,
¯शीमहल, काठ¯ग ¯दाम
जिला–नैनीताल

प ¯शि दी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(नगर)।

विप ¯क्षी

निर्णय

1. ¯कियतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया कि I have request to amend my name and address to your department and deposited required documents to your Subhash Nagr office before 2 month ago but no solution till date. I request to take strict action on responsible official for delaying the same.
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री कैलाश चन्द्र, शिवालिक बिहार, फेज–2 कैनाल रोड, शीशमहल, काठगोदाम, हल्द्वानी का नाम संशोधन से सम्बन्धित शिकायत दर्ज है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी उपभोक्ता की शिकायत के ¯सिकरण हेतु ¯निर्शित किया गया, जिसके कम में उप खण्ड अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता की शिकायत के निवारण हेतु उपभोक्ता के नाम की स्पेलिंग सुधार हेतु शिकायत पंजीकृत कर दिया गया है, जो कि उपभोक्ता के अग्रेत्तर बिलोंमें प्रदर्शित होगा।

3. परिवादी द्वारा अपने पत्र में कहा गया है कि I have received this mail with it's attachment and would like to say that electicity department has change the name correctly but in address, Shivalik Vihar reflected as Hiwalik Vihar. Actual is Shivalik vihar phase- II while accessing my online account. My another request was to enhance my electricity connection sanction load from 1KW to 3KW for establishing PM rooftop solar system of 3 KW at my home, but it shows only 2KW instead of 3 KW while checking online. All the required documents have already been submitted by me phisically in the office of Subhash Nagar, sub station, Haldwani. May I request to your department to rectify the above and inform me at the earliest with documentary proof. An early action is highly solicited.
4. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के नाम की स्पेलिंग एवं पते की स्पेंलिग में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। उपभोक्ता के संयोजन की हिस्ट्री की प्रति सलग्न है।
5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी के नाम एवं पते की स्पेंलिग में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। जिस पर परिवादी ने भी संतुष्टि जताई है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 19/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।

दिनांक.– 19/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या– 04202505230001
पंजीकरण तिथि:–24.05.2025

नीमा देवी, परिवादी
हरी विहार, बिष्ट धारा विठौरिया नम्बर–01,
कुसुमखेडा, नियर भुमियॉ मन्दिर,
हल्द्वानी जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया कि Bill of may has been paid by me but still not reflecting in portal pls check and update
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या–392E122162996 की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 19.05.2025 को विद्युत के सापेक्ष जमा की गई धनराशि 832.00 उपभोक्ता के बिल में समायोजित हो गई है। उपभोक्ता की बिलिंग से संबंधित शिकायत का समाधान किया जा चुका है। अतः वाद को निस्तारित करने का कष्ट करें।
3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की बिलिंग समस्या का समाधान कर दिए जाने से शिकायत का निवारण कर दिया गया है। अतः वाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी/विभाग परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन

करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:– 05/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:– 05/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला– नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद सख्या–04202506040001

तारा वर्मा
विष्णु विहार कालौनी
पीलीकोठी, बड़ीमुखानी
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिषासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेषन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1.परिवादी द्वारा CGRF- Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा है कि "my billing details are not being updated after January 2025 online in UPCL portal. please tell me the reason for not updation. kindly update it. "

2 विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या–392KS01079374,मापक संख्या–U240920 की रीडिंग करवा दी गयी है। उपभोक्ता को भी दूरभाष पर सूचित किया गया है। वह शहर से बाहर हैं। टैक्निकल कारणों की वजह से बिलिंग नहीं हो पा रही थी। मापक की MRI भी करवा दी गयी है। इसी सप्ताह उपभोक्ता को बिल प्राप्त करा दिया जायेगा तथा माननीय न्यायालय को भी सूचना दी जायगी।

3.विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त उत्तर पत्र दिनांकित 21.06.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या–392KS01079374, मापक संख्या–U240920 की रीडिंग करवा दी गयी है। उपभोक्ता को दूरभाष पर सूचित किया गया। वह आज भी शहर से बाहर हैं, लेकिन सोलर मापक की सीलिंग फीड करवा दी गई है। साथ ही मापक की MRI करवा कर बिल भी बना दिया गया

है। उपभोक्ता को बिल की प्रति मोबाइल पर उपलब्ध भी करवा दी गई है। माननीय न्यायालय को भी बिल की प्रतिलिपि प्रेषित की जा रही है।

4.परिवादी द्वारा दिनांक 21.06.2025 को दूरभाष के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि विपक्षी/विभाग द्वारा उसकी समस्या का समाधान कर दिया गया है, अतः उक्त वाद को समाप्त कर दिया जाये।

5.मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। परिवादी द्वारा भी दूरभाष के माध्यम से उसकी समस्या के निस्तारण की पुष्टि कि है, जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 21/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 21/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला– नैनीताल

उपस्थित 1– विष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्या कि)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद सख्या–04202506120001
पंजीकरण तिथि :- 12/06/2025

राजीव श्रीवास्तव
प्लाट नं0–28
रामजी विहार, देवलचौड़
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिषासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF- Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा है कि "My name that appears in bill is Rajeev Srivastav.Actually my name spelling is Rajiv Srivastava as per my aadhar card submitted to you Please rectify it."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के द्वारा अपने विद्युत बिल संयोजन संख्या–391D128239714 में अपने नाम को संशोधन हेतु कहा गया था। उपभोक्ता के आधार कार्ड के अनुसार ही नाम की स्पेलिंग को RAJIV SRIVASTAVA कर संशोधित कर दिया गया है। अतः वाद को निरस्त करने का कष्ट करें।
3. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 23/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।

दिनांकः– 23/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUME GRIEVANCES REDRESSAL FORUM,
KUMAOUN ZONE,HALDWANI

Case No.: 4202506150001

Shri/Smt.. M/S HARSH PACKAGING V/S Executive Engineer. Ramnagr

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	16.06.2025	ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। विपक्षी/विभाग को दिनांक 27.06.2025 तक उत्तर पत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करें।	27.06.2025
	23/06/2025	आदेश पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी ने आख्या प्रस्तुत कर कहा कि उपभोक्ता द्वारा जमा की गयी धनराशि रु. 40,158/- दिनांक 16/06/2025 को खण्ड कार्यालय के राजस्व खाते में क्रेडिट हुई है, जिसकी जमा रसीद संलग्न है। परिवादी ने मंच कार्यालय को को दूरभाष पर अवगत कराया कि उसके भुगतान की रसीद जनरेट हो गयी है अतः वाद निस्तारित किया जाये। परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	निस्तारित

सदस्य (उपभोक्ता) विoउoशिoनिoमo हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी) विoउoशिoनिoमo हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक) विoउoशिoनिoमo हल्द्वानी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित
1– भृगु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या– 04202506170001
पजीकरण तिथि:–18.06.2025

सयंम मल्होत्रा,
महारानी होटल हल्द्वानी
जिला–नैनीताल
परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी(नगर)।
विपक्षी

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया कि:–Security deposit of 33000 has been paid in December, but now I'm being asked for additional security deposit,
2. विपक्षी / विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है गयां है कि उपभोक्ताओं की Addition security विगत एक वर्ष के विद्युत बिलों के औसत के अनुसार दो माह के बिल की राशि के समतुल्य धनराशि security जमा होनी चाहिए, जिसके कम होने की दशा में Addition security देय होती है, जो उपभोक्ता द्वारा एक वर्ष तक बिलों के साथ किस्तों अथवा एकमुश्त जमा की जाती है। अतः ASD (Additional Security Deposit) Details हेतु उपभोक्ता की बिलिग हिस्ट्री की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
3. परिवादी द्वारा दिनांक 18.06.2025 को ईमेल प्रेषित कर कहा गया कि "Additional security has been paid, pls disregard the request."
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की आशंका को दूर कर दिया गया है। अतः वाद निस्तारित होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 23/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 23/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या– 04202506210001
पंजीकरण तिथिः–23.06.2025

अनिल कुमार दास, परिवादी
लाइन नम्बर–09,
गौजाजली बिचाली, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी(नगर)।

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया कि:–Electricity meter is faulty giving abrupt readings. LED display is not properly readable.
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उक्त संयोजन विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), हल्द्वानी से सम्बन्धित है तथापि उक्त शिकायत के निराकरण हेतु सहायक अभियंता (मापक), हल्द्वानी को निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में सहायक अभियंता (मापक),हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया है उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मापक को परिवर्तित कर स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिया गया है, जिसकी सीलिंग प्रमाण की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
3. परिवादी द्वारा मंच कार्यालय को दूरभाष पर बताया गया कि उनका मीटर लग गया है जिससे वह संतुष्ट है।

1. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की मीटरिंग से सबंन्धित शिकायत का समाधान कर दिया गया है। जिस पर परिवादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 26/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः— 26/06/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)